(1)

सी० एम० वासुदेव
प्रमुख सचिव ।

अर्द्धया० पत्र संख्या बी-4-256/वस-1993

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
लखनऊ, दिनांक 16 मार्च 1993 ।

प्रिय महोदय,

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-4-256/वस-89-10 (20)/88, दिनांक 19 अप्रैल 1989 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सचिवालय के समस्त अनुभागों से यह अनुरोध किया गया था कि उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित प्रत्येक बिन्दु के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के बाद ही शासकीय प्रत्याभूति के प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित किये जायं और कार्यशील पूंजी के आवश्यकताओं के लिये शासकीय प्रत्याभूति के प्रस्ताव सामान्यतया न भेजे जायं। वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण के समय यह तथ्य जानकारी में आया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप में निहित निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव का सम्यक परीक्षण किये बिना ही, रूटीन तरीके से प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित कर दिये जाते हैं। अपूर्ण प्रस्तावों के परीक्षण में पत्रावलियां वित्त विभाग और प्रशासकीय विभाग के बीच घूमती रहती है जिस कारण प्रत्याभूति के प्रकरणों में अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब के फलस्वरूप संसाधनो के अभाव में सम्बन्धित संस्था के कार्यकलाप भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं ।

2--इस सम्बन्ध में मुझसे यह भी कहने को अपेक्षा की गई है कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए शासकीय प्रत्याभूति दिये जाने के प्रस्ताव सामान्यतः वित्त विभाग को नहीं भेजे जाने चाहिये और इस प्रयोजन के लिये नियमों / उपक्रमों आदि द्वारा सम्बन्धित वित्तीय संस्था के पक्ष में अपनी परिसम्पत्तियां तथा / अथवा स्टाक बन्धक रख कर ऋण की सुविधा प्राप्त करनी चाहिए । यदि परिसम्पत्तियों इत्यादि को बन्धक रख कर सम्बन्धित वित्तीय संस्थायें निगमों आदि को ऋण राशि स्वीकृत करने के लिये सहमत न हों और आप समझते है कि वित्तीय संस्था द्वारा अनावश्यक रूप से शासकीय प्रत्याभूति की मांग की जा रही है, तो ऐसे प्रस्ताव वित्तीय संस्थाओं के असहमति-पत्र सहित, सचिव, संस्थागत वित्त विभाग को संदर्भित कर दिये जायं, ताकि संस्थागत वित्त विभाग सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं से विचार विमर्श करके समस्या का उचित समाधान करा सकें ।

3--कुछ प्रकरणों में वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा संस्थागत वित्त विभाग से यह शिकायत की जाती है कि शासकीय प्रत्याभूति के बावजूद निगम / उपक्रम द्वारा वित्तीय सस्था बैंक के ऋण ब्याज सहित नियमित प्रतिदान / भुगतान मे वितथ (डिफाल्ट) किया जा रहा है । संस्थागत वित्त विभाग पूर्ण तथ्यों के अभाव में इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण अथवा ऋण लेने व देने वाली संस्थाओं के बीच समझौते हेतु कोई कार्यवाही नहीं कर पाता है । अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में आपके प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन किसी भी निगम/उपक्रम/विकास प्राधिकरण/संस्था को वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु आपके द्वारा जो शासकीय प्रत्याभूति दी जाय, उसकी पूर्ण सूचना सचिव, संस्थागत वित्त विभाग को भी अवश्य उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

4--आपसे यह भी अनुरोध है कि भविष्य में शासकीय प्रत्याभूति के प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित करने के पूर्व आप कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि प्रस्ताव का परीक्षण उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 19 अप्रैल, 1989 में निहित निर्देशों के अनुसार कर लिया गया है और वांछित सूचना प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करा दी गई है ।

5--सम्बन्धित संस्था की प्रतिदान क्षमता का आकलन करने के लिये संस्था द्वारा पूर्व में शासन से अथवा शासकीय प्रत्याभूति के समक्ष अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋणों के ब्याज सहित नियमित प्रतिदिन/भुगतान की अद्यतन स्थिति भी प्रत्याभूति के प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रारूप-1-2 में अवश्य उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

6--आप अवगत ही है कि प्रत्याभूतियों के प्रकरणों में शासन का प्रासंगिक दायित्व (कन्टिजेन्ट लाइबिलिटी) निहित रहता है, अतः यह भी अनुरोध है कि प्रत्याभूति के प्रकरण अपने अनुमोदन के उपरान्त ही वित्त विभाग को संदर्भित करने की कृपा करें ।

भवदीय,

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/
सचिव ।

सी० एम० वासुदेव

संख्या बी-4-256 (1)/दस-1993, तद् दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश बैरिया,
विशेष सचिव ।

प्रारूप—1

दिनांक———————— तक निगम/उपक्रम/स्थानीय निकायों आदि को स्वीकृत किये गये ऋणों के वकाया/भुगतान का विवरण

संस्था का नाम———————

क्रमांक	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	स्वीकृत कुल धनराशि	देय धनराशि		भुगतान की गई धनराशि		वसूली का प्रतिशत	शतिदेय धनराशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका		पूर्ण स्वीकृत ऋणों के सदुपयोग की स्थिति	भुगतान न हो सकने के कारण
			मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज		मूलधन	ब्याज		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रारूप—2

दिनांक————————तक निगमों/उपक्रमों आदि को वित्तीय संस्थाओं बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये ऋणों के एवज में प्रदत्त शासकीय गारन्टी की धनराशि के विरुद्ध ऋणों के बकाया/भुगतान का विवरण

संस्था का नाम————————

क्रमांक	शासनादेश संख्या एवं तिथा दिनांक	ऋण देने वाली वित्तीय संस्था/बैंक का नाम	कुल स्वीकृत धनराशि	प्रस्थापित कुल धनराशि	भुगतान की गई धनराशि		अवत्त धनराशि		अतिदेय धनराशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका।		भुगतान न हो सकने के कारण
					मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12